

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 320/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना देवगांव- चोरी की मोटर साइकिल व अवैध तमंचा के साथ 01 हिस्ट्रीशीट अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आवेदक तुषार कुमार पुत्र रामजतन हरिजन निवासी ग्राम पतौरा थाना केराकत जनपद जौनपुर द्वारा थाना देवगांव पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की मोटरसाइकिल जिसका नं०- UP62CB2799 है को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिसकी काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिली। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 308/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 04.09.2025 को उ०नि० राजेश कुमार सिंह मय हमराह के गायत्री मोड़ पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मोटर साइकिल एक व्यक्ति लेकर खैरा नियमताबाद रोड़ से लहुवां कला गांव की तरफ जाने वाला है। इस सूचना पुलिस बल द्वारा खैरा नियमताबाद लहुवां मोड़ पहुंचकर चोरी की मोटर साइकिल, अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ समय करीब 04.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रिषू सिंह उर्फ बुलबुल उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र मुसाफिर सिंह निवासी लहुवां कला थाना देवगांव आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास:-

क्र.सं.	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
01	14/2016	41,411,414 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
02	97/2016	356 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
03	111/2016	294,341,354,506 भा.द.वि. व 3(1)2 SC/ST Act	देवगांव	आजमगढ़
04	376/2017	110G जा०फौ०	देवगांव	आजमगढ़
05	244/2021	406/506 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
06	491/2022	3/25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
07	011/2023	379 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
08	308/2025	303(2),317(2) बीएनएस	देवगांव	आजमगढ़
09	312/2025	3/25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

01. उ०नि० राजेश कुमार सिंह थाना देवगांव आजमगढ़।
02. उ०नि० विनय कुमार सिंह , थाना देवगांव आजमगढ़।
03. का० पवन कुमार गोंड , थाना देवगांव आजमगढ़।



02.थाना-सिधारी:- रंगदारी माँगने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण:-

दिनांक- 19.06.2025 को वादी मुकदमा काजू यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव सा0 कटघर सदर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर बावत अभियुक्तगण अमन सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह सा0 दौलतपुर थाना सिधारी व अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 नीवी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर दो अन्य साथी अज्ञात द्वारा गुण्डा टेक्स रंगदारी माँगने व गाली गुप्ता देने तथा मारने पीटने एवं मना करने पर अभि0 अमन सिंह द्वारा असलहा लहराते हुए दुकान न चलने देने तथा जान से मार देने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 307/2025 धारा 308(5)/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 1.अमन सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह सा0 दौलतपुर थाना सिधारी, आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष 2.अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 नीवी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष व अन्य दो साथी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 04.09.2025 को उ0नि0 विधनेश वर्मा मय हमराह का0 सुरेन्द्र कुमार का0 अनुराग तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा छतवारा से हाईडिल चौराहे जाने वाले मार्ग के बेलनाडीह गेट के पास से अभियुक्त अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 नीवी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 13.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अनावरण अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 307/2025 धारा 308(5)/115(2)/352/351(2)बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

01. अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 नीवी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष |

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0261/21 धारा 323/504/506 ipc थाना मुबारकपुर आजमगढ़

2. मु0अ0सं0393/25 धारा 115(2)/3(5)/351(3)/352 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 307/2025 धारा 308(5)/115(2)/352/351(2)बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 उ0नि0 विधनेश वर्मा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

02.का0 सुरेन्द्र कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

03.का0 अनुराग तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

